



**INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH –
GRANTHAALAYAH**
A knowledge Repository



पर्यावरण संरक्षण व अन्तराष्ट्रीय कानून

बद्रीलाल मालवीय शोधार्थी
शासकीय विधि महाविद्यालय उज्जैन



भौतिकवादी पृवृत्ति के वशीभूत हो इंसान अपनी सुख सुविधाओं में अधिकाधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से प्राकृतिक संपदाओं का अविवेक पूर्ण दोहन जिस गति से कर रहा है, उसमें पर्यावरण का ताना बाना चरमरा रहा है । जीवन दायी तत्वों का दाता प्राकृतिक पर्यावरण आज अत्यधिक दोहन, असीमित मात्रा में निकलते गंदे और उत्सर्जित पदार्थों के कारण संकटमय स्थिति में पहुंच गया है । इससे न सिर्फ मानव वस्तु अपितु संपूर्ण पृथ्वी पर संकट छाया हुआ है । इसलिये पर्यावरण को संरक्षित करना एवं प्रदुषण को नियंत्रित करना देश की एक व्यापक जिम्मेदारी बन गई है ।

प्रदुषण आज की एक ज्वलंत समस्या है । पर्यावरण अर्थात वातावरण को यह प्रदुषण दीमक की तरह खोखला कर रहा है आज न केवल मानव जाति, अपितु पशु पक्षी भी प्रदुषण से व्यथित एवं परेशान है । हमारा जन जीवन भी प्रदुषण के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है । विकलांगता अंधापन, आदि प्रदुषण के ही परिणाम है । प्रदुषण चाहे हवा का हो, जल का हो अन्य किसी तरह का ये मानव के लिये घातक है ।

अब समय आ गया है जब प्रदुषण को समाप्त करने एवं पर्यावरण की सुरक्षा या बचाव के लिये शासन प्रशासन ओर स्वेच्छिक संगठनों को पहल करनी होगी ।

पर्यावरण आज चहुं ओर से विभिन्न प्रकार के प्रदुषणों ; वायु, ध्वनि, जल, भूमि, नाभिकीय प्रदुषणद्ध से घिरा स्वयं को असहाय महसूस कर रहा है । वास्तविकता में विभिन्न प्रकार के प्रदुषणों पर नियंत्रण पाना ही पर्यावरण संरक्षण है ।

पर्यावरण संरक्षण कि दिशा में ताज के सौन्दर्य की वापसी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला **एम.सी.मेहता बनाम यूनियन आफ इण्डिया ए.आई.आर.1997एस.सी.734** है । इसमें ताज के सौन्दर्य को कारखानों के प्रदुषण से बचाने की मांग की गई थी । न्यायालय ने ताज के आसपास बसे लगभग **192** कारखाने एवं शोधन भट्टियों को हटाने का निर्देश दिया । उच्चतम न्यायालय ने कहा – ताज विश्व के आश्चर्यों में सरताज है । यह मुगलकालीन कला की बेजोड अन्तिम मिशाल है । शाहजहां की पत्नि मुमताज की चिरस्थाई यादगार है । वास्तुविदो के कला – कौशल की अनुपम कृति है कला और संस्कृति का संगम स्थल है । इसका सौन्दर्य राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है । अतरू ताज के सौन्दर्य की रक्षा करना एवं उसे प्रदुषण से बचाना हमारा दायित्व है ।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 – एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधान है क्योंकि यह पर्यावरण की आवश्यकता पर वैधानिक बल देता है ओर अन्य संबधित क्षेत्रों में त्रुटियों को दूर करता है ।

पर्यावरण संरक्षण व अन्तर्राष्ट्रीय कानून

पर्यावरण के संरक्षण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास का प्रथम सोपान स्टाक होम सम्मेलन से माना जाता है । सन 1972 में स्वीडन के स्टाक होम शहर में 05 जून से 16 जून तक पर्यावरण के संबंध में सम्मेलन का आयोजन किया गया ।

इस सम्मेलन में पहली बार एक ही पृथ्वी के सिद्धांत को सम्मेलन में सम्मिलित विश्व के 119 देशों ने स्वीकार किया । इस सम्मेलन को स्टाक होम घोषणा पत्र, 1972 के नाम से जाना जाता है । स्टाक होम घोषणा पत्र में 7 सत्य और 26 सिद्धांतों को पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक समझा गया ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिये किये गये प्रयासों की संक्षिप्त रूप रेखा –

1. प्रथम जलवायु सम्मेलन ;1972 स्टाक होम, स्वीडनद्ध – पहली बार पर्यावरण प्रदुषण मुददा बना ।
2. द्वितीय जलवायु सम्मेलन ;1990 स्टाक होम, स्वीडनद्ध – जलवायु परिवर्तन मसोदा तैयार किया गया ।
3. प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ;1992 रियोडि जेनेरियो, ब्राजील द्ध – ;संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन अथवा रियो 10 सम्मेलनद्ध 154 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र मसोदे पर हस्ताक्षर एजेन्डा –21 लागू करने पर सहमति ; इस एजेन्डे के अनुसार वर्ष 2000 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का स्तर 1990 के स्तर तक लाना ।
4. जलवायु परिवर्तन की समस्या पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का विशेष सत्र ; 1997 न्यूयार्क संयुक्त राज्य अमेरिका द्ध. इस सम्मेलन में रियोडि जेनेरियो सम्मेलन के बाद की स्थिति की समीक्षा की गई ।
5. क्योटो सम्मेलन ; 1997 क्योटो जापानद्ध. इस सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के संबंध में बनाये गये अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों को कानूनी रूप देने संबंधित समझौता हुआ।इसके अनुसार औद्योगिक देशों को 2012 तक ग्रीनहाउस गैसों को 5 प्रतिशत तक कम करना था ।
6. दूसरा पृथ्वी सम्मेलन ; 2002 जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीकाद्ध – यह सम्मेलन विभिन्न सम्मेलनों में निर्धारित लक्ष्यों को लागू करने हेतु कार्य पद्धति बनाने के लिये आयोजित किया गया था लेकिन यह सम्मेलन विकसित एवं विकासशील देशों के बीच टकराव की भेट चढ गया ।
7. संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन ; 2003 बॉन जर्मनी – इस सम्मेलन में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिये विस्तार पूर्वक योजना बनाई गई तथा क्योटो सम्मेलन में आ रही प्रमुख बाधाओं पर चर्चा की गयी ।
8. जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2004 ब्यूनस आयर्स, अर्जेन्टीना ।
9. जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ; अप्रैल 2007 बैकाक थाइलेण्ड – इस सम्मेलन में 120 देशों के लगभग 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ।
10. जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ; दिसम्बर 2007 बाली इन्डोनेशिया
11. जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ; अप्रैल 2008 बैकाक थाइलेण्ड
12. जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ;28 नवम्बर से 11 दिसम्बर 2011 डरबन दक्षिण अफ्रीका

संदर्भ

1. प्रतियोगिता घटना चक्र सितम्बर 2014 पृष्ठ 50
2. विधि एवं योजनाये एक परिचय, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पृष्ठ 29
- 3.भारत का सविधान – डां बंसतीलाल बावेल, सेन्द्रल लॉ पब्लिकेशन्स पृष्ठ 154
- 4.पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986
- 5.यू.जी.सी. नेट परीक्षा गाईड, जितेन्द्र कुमार उपाध्याय, एवं पवन गुप्ता । पृष्ठ 550